12-2-19 वादी के अधिवक्ता / वकील उपस्थित
हैं। अतः आज की तारीख हेतु अपील चाही
गयी पर वकील वादी ने निवेदन किया कि मेरे
द्वारा आज कोर्ट में हाजिर होने में
असमर्थ दिखाने के बावजूद भी वकील
प्रतिवादी के प्रतिवादी सं. 1 रामलाल नहीं
दिखाया गया है तथा न ही प्रतिवादी सं. 1
देशी किसान 12-12-18 को काल कवलित हो
उपस्थित आये अतः इस कारण
अपील समाप्त किया जाता प्रतिवादी सं.
2 बाबूलाल हरिजन तथा के अधिवक्ता
या वकील उपस्थित अतः इस
विरुद्ध भी एकतरफा कार्यवाही अमल
में लाई जाती।

इस पत्रावली का पश्चात हेतु
अवलोकन / मध्यमन किया प्रतिवादी सं.
का 3 को रूक-रूक कर बार-बार आवेदन

लगवाई गई। व उपस्थित नहीं आए, प्रतिवादी सं. व बार-बार आमंत्रित किये जाने के बावजूद उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनके जवाब का अवसर बंद किया जाकर प्रतिवादी सं. 3 बावजूद रजिस्टर्ड डाक से उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही आगे सं. लाई जाती है। वादी श्रीमद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाया जाने पर वाद स्वीकार किया जाकर डीक्री लिखित पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर वाद नकलीय नकशीला डाकिया उपरांत की जाती अपील इकलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2019.11.27 17:25:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: